न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा (राज0)

मिसल नं. 7/2020 निर्णय दिनांकः–4.03.2020

पीठासीन अधिकारी– रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1– बृजसुन्दर दत्तक पुत्र हरिशंकर पुत्र भोजराज जाति मीणा निवासी गेणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(वादी)

बनाम

1– भोजराज उर्फ भौलाशंकर पुत्र रघुनाथ
2– केदारबाई पुत्री रघुनाथ
जतियान मीणा निवासी गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा(राज0)

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित–अधिवक्तागण
1– वादीगण की ओर से श्री गिरिराज कुशवाह एड0
2– प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह एड0

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में आराजी खसरा नं. 1023 रकबा 2.86 है0, ख.नं. 61 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 932 रकबा 2.69 है0, खसरा नम्बर 957 रकबा 5.74 है0, खसरा नम्बर 974 रकबा 4.83 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 16.88 है0, कृषि भूमि स्थित है। जिसको आगे विवादित भूमि से सम्बोधित किया गया है। जिसके खातेदार केदार बाई पुत्री रघुनाथ, हिस्सा 1/9 , भोजराज पुत्र रघुनाथ हिस्सा 4/9, हरिशंकर पुत्र रघुनाथ हिस्सा 4/9 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

यह कि मृतक रघुनाथ के 2 पुत्र भोजराज व हरिशंक, तथा एक पुत्री केदारबाई है। खातेदार हरिशंकर की मृत्यु हो चुकी है। मृतक हरिशंकर के कोई जायन्दा पुत्र, पुत्री नहीं है। इस प्रकार मृतक हरिशंकर के हिस्से की कृषि भूमि पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। इनके परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

Scanned with CamScanner

रघुनाथ (मृतक)

| | |

| | |

भोजराज (पुत्र) हरिशंकर (पुत्र) केदारबाई (पुत्री)

(मृतक)

|

|

दत्तक पुत्र

(बृजसुन्दर)

यह कि हरिशंकर के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से हरिशंकर ने वादी को बचपन में ही गोद ले लिया था। जिसके समाज के सामने नारियल बाअें थे, और वादी को गोद में बैठाया था। वादी की पढाई लिखाई आदि का सम्पूर्ण खर्चा हरिशंकर ने ही वहन किया था। वादी ही रिशंकर की सेवा चाकरी आदि करता था। वादी की सेवा चाकरी से खुश होकर खातेदार हरिशंकर ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 8.10.2010 को वादी के पक्ष में गवाहों के समक्ष निष्पादित कर दी थी। जिसको सरपंच साहब ग्राम पंचायत गणेशगंज द्वारा सत्यापित किया गया था, कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी समस्त चल अचल सम्पत्ति का मालिक मेरा दत्तक पुत्र हरिशंकर ही रहेगा। इस प्रकार हरिशंकर की मृत्यु के बाद से हरिशंकर के हिस्से की कृषि आराजी पर दत्तक पुत्र बृजसुन्दर ही काबिज काश्त चला आ रहा है। और लगान आदि भी वादी बृजसुन्दर जमा करवाता है। इसलिए मृतक हरिशंकर के हिस्से की कृषि भूमि पर वादी बतौर खातेदार अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

यह कि रघुनाथ की मृत्यु के बाद राजस्व विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में केदारी पुत्री रघुनाथ का नाम दर्ज कर दिया है। जबकि मीणा जाति में हिन्दु लॉ लागु नहीं होता है। जिसके अनुसार कृषि भूमियों में पुत्री को कोई अधिकार नहीं होता है। और मौके पर भी प्रतिवादी क्रम 2 केदारबाई का कब्जा नहीं है। मौके पर वादी व प्रतिवादी क्रम 1, 1/2–1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादी व प्रतिवादी क्रम 1 राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी क्रम 2 का नाम हटवाने के अधिकारी है।

Scanned with CamScanner

यह कि दिनांक 6.02.2020 को वादी ने राजस्व रिकॉर्ड मे से प्रतिवादी क्रम 2 का नाम हटवाने व वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज करीवाने हेतु तहसीलदार पीपल्दा से निवेदन किया, लेकिन उनके द्वारा असमर्थता जाहिर की और सक्षम न्यायालय में वाद पत्र पेश करने की हिदायत दी गई। इस कारण वाद पत्र पेश करने हेतु बाध्य होना पड़ा। वाद कारण दिनांक 6.02.2020 को उत्पन्न हुआ है।

यह कि तहसीलदार पीपल्दा को लेण्ड होल्डर व राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्व वाद लोने हेतु 80 सीपीसी के प्रावधानों के तहत 2 माह की मियाद का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, किन्तु वाद आवश्यक पृवति का है। इसलिए 80(2) सीपीसी के प्रावधानों के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:–

(1) ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में आराजी खसरा नं. 1023 रकबा 2.86 है0, ख.नं. 61 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 932 रकबा 2.69 है0, खसरा नम्बर 957 रकबा 5.74 है0, खसरा नम्बर 974 रकबा 4.83 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 16.88 है0, कृषि भूमि में मृतक हरिशंकर के हिस्से पर वसीयत के आधार पर वादी को खातेदार घोषित कर हरिशंकर के स्थान पर वादी बृजसुन्दर दत्तक पुत्र हरिशंकर जाति मीणा निवासी गणेशगंज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तथा हरिशंकर का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

(2) कि विवादित भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 2 केदारबाई का नाम हटाया जावे। तथा प्रतिवादी क्रम 2 के हिस्से की भूमि पर वादी व प्रतिवादी क्रम 1 को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

(3) अन्य न्योचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे जारी कि जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी वाके ग्राम गणेशगंज सम्वत् 2074 से 2077 तक

2– नकल वसीयत नामा

3– वारिसान प्रमाण पत्र

4– मृत्यु प्रमाण पत्र

Scanned with CamScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय जवाब पेश कर वाद पत्र की समस्त मदों को स्वीकार किया गया है। प्रतिवादगण का जवाब सहमति पूरक होने से प्रकरण में तनकीयात की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में उभय पक्ष वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1व 2 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। उक्त राजीनामा में विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1व 2 के मध्य सहमति हुई है कि विवादित कृषि भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 2 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी क्रम 2 के हिस्से की भूमि पर वादी व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/2,– 1/2 हिस्से का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। राजस्व रिकॉर्ड का गहन अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज ,वसीयत एवं सहमति पूर्वक प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। अतः उभय पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1, 2 के मध्य हुये राजीनामा अनुसार ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में आराजी खसरा नं. 1023 रकबा 2.86 है0, ख.नं. 61 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 932 रकबा 2.69 है0, खसरा नम्बर 957 रकबा 5.74 है0, खसरा नम्बर 974 रकबा 4.83 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 16.88 है0, कृषि भूमि में मृतक हरिशंकर के हिस्से पर वसीयत के आधार पर वादी को खातेदार घोषित कर हरिशंकर के स्थान पर वादी बृजसुन्दर दत्तक पुत्र हरिशंकर जाति मीणा निवासी गणेशगंज का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तथा हरिशंकर का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे, तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 2 केदारबाई का नाम हटाया जाकर , प्रतिवादी क्रम 2 के हिस्से की भूमि पर वादी व प्रतिवादी क्रम 1 को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में 1/2,–1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। तथा तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
सहायक कलक्टर
इटावा

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1– बृजसुन्दर दत्तक पुत्र हरिशंकर पुत्र भोजराज जाति मीणा निवासी गेणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(वादी)

बनाम

1– भोजराज उर्फ भौलाशंकर पुत्र रघुनाथ
2– केदारबाई पुत्री रघुनाथ
जतियान मीणा निवासी गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा(राज0)

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित–अधिवक्तागण

1–	वादीगण की ओर से	श्री गिरिराज कुशवाह एड0
2–	प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से	श्री सुरेन्द्र सिंह एड0

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट

मिसल नं. 7 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1, 2 के मध्य हुये राजीनामा अनुसार ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में आराजी खसरा नं. 1023 रकबा 2.86 है0, ख. नं. 61 रकवा 0.44 है0, खसरा नम्बर 62 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 932 रकबा 2.69 है0, खसरा नम्बर 957 रकवा 5.74 है0, खसरा नम्बर 974 रकबा 4.83 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 16.88 है0, कृषि भूमि में मृतक हरिशंकर के हिस्से पर वसीयत के आधार पर वादी

Scanned with CamScanner

खातेदार घोषित कर हरिशंकर के स्थान पर वादी बृजसुन्दर दत्तक पुत्र हरिशंकर जाति [illegible]णा निवासी गणेशगंज का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तथा हरिशंकर, का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे, तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 2 केदारबाई का नाम हटाया जाकर, प्रतिवादी क्रम 2 के हिस्से की भूमि पर वादी व प्रतिवादी क्रम 1 को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में 1/2,–1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे। तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 4.03.2020 को जारी किया गया

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

(रामावतार मीना)
सहायक कलक्टर
इटावा

Scanned with CamScanner